

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प.7(108)परि/नियम/2010/ 59656

जयपुर, दिनांक:- 13/10/14

कार्यालय आदेश 31/2014

विषय:-कार्यालय आदेश संख्या 29/2014 में संशोधन बाबत।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 29/2014 दिनांक 07.10.2014 के द्वारा राज्य के जिला एवं उप परिवहन कार्यालय के पंजीयन एवं लाईसेंस क्रमांक के संबंध में सूचना विवरण दिया गया था। उक्त आदेश की तालिका के क्र.सं. 62 पर उप परिवहन कार्यालय नावां, डीडवाना (नागौर) का लाईसेंस कोड सहवन से 37A दर्शाया गया है जबकि उक्त लाईसेंस कोड उप परिवहन कार्यालय मकराना (नागौर) को आवंटित है। अतः कार्यालय आदेश संख्या 29/2014 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

"कार्यालय आदेश संख्या 29/2014 दिनांक 07.10.2014 में उल्लेखित तालिका के क्र.सं. 62 के बाद क्र.सं. 62A जोड़ा जाएगा तथा कार्यालय का नाम एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी कोड निम्नानुसार रूप से किए जाएंगे:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अनुज्ञप्ति अधिकारी कोड
62.	उप परिवहन कार्यालय, मकराना (नागौर)	37A
62A	उप परिवहन कार्यालय नावां डीडवाना, (नागौर)	37B


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक:- प.7(108)परि/नियम/2010/ 59657-663

जयपुर, दिनांक:- 13/10/2014

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. मुख्यालय अधिकारीगण.....(समस्त)।
3. अपर परिवहन आयुक्त, जोन.....(समस्त)।
4. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी(समस्त)।
5. जिला परिवहन एवं पंजीयन अधिकारी(समस्त)।
6. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)